

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज एआर. विकास पूनिया बनाम लोक सूचना अधिकारी, (तहसीलदार पीपाड़ शहर) सूअ.अपील संख्या-ऑनलाईन अपील संख्या 353826361309524</p>	<p>न न तारीख आह्वान जो हुक्म की तारीख में जागी हुए</p>
<p>26 / 11 / 25</p>	<p>अपीलार्थी एआर. विकास पूनिया निवारी पिचियाक, विलाड़ा, जोधपुर द्वारा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार पीपाड़ शहर) को सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 16.09.2025 ग्राम रियां, तहसील पीपाड़ शहर (जोधपुर) के खसरा नंबर 895 गैर मुमकिन रास्ते से खसरा नंबर 851, 852, 857, 862, 863, 864, 865, 873 द्वारा किए गए अतिक्रमण को उपखण्ड कार्यालय आदेश क्रमांक न्यायिक/2025/47 तथा तहसील कार्यालय के आदेश क्रमांक तहसीलदार कोर्ट/2025/482 के दिनांक 15.01.2025 को प्रशासन की उपस्थिति में अतिक्रमण हटाना, गया लेकिन उक्त खसरो द्वारा पुनः अतिक्रमण कर लिया गया को हटाने बाबत कार्यवाही के संबंध में व अन्य बिन्दुओं से संबंधित सूचना के लिए प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील में रेस्पो. पक्ष लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार पीपाड़ शहर) को नियत सुनवाई तिथि को आवश्यक दस्तावेज सहित (तथ्यात्मक) उपस्थित होने एवं अपीलार्थी को सुनवाई तिथि हेतु आरटीआई पोर्टल के माध्यम से नोटिस जारी किया गया।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। नियत सुनवाई तिथि पर रेस्पो. पक्ष अनुपस्थित एवं अपीलार्थी अनुपस्थित। रेस्पो. पक्ष लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार पीपाड़ शहर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार पीपाड़ शहर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर नियमानुसार उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p>(गौरव अग्रवाल) जिला कलक्टर, जोधपुर</p> <p>दि 11/11/25</p> <p>प्रति सूचना अधिकारी, तहसीलदार पीपाड़ शहर</p>	

Signature valid

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District
Magistrate

Date: 2025.11.25 17:43:27 IST
Reason: Approved